1

376/AI(DM)
16/4

Speed Post
RTI MATTER
(To be issued in Hindi)

No. 23014/24/2012-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road, New Delhi-110001
Dated:8th April, 2013

To,

Ch. Ravi Kumar Rajwal Jatav,
E-43, Pandav Nagar, Patparganj,
Delhi-110091.

Subject:- Your application under the RTI Act, 2005.

***

Sir,

This is regarding your RTI application dated Nil under the RTI Act, 2005 received on transfer on 31.01.2013.

2. In this regard, it is stated that except for point No.(16), none of your queries relate to this Unit. The subject matter of your queries [other than point No.(16)] may be related to HR, J&K, IS-I, P-I, P-II, UT, DM, and NM Divisions of MHA, DOP&T, Ministry of HRD, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Indraprastha Gas Limited and Delhi Police. In view of the above, a copy of your RTI application is being forwarded to these offices for providing information available with them, to you directly. You are requested to contact the CPIOs concerned for further information in this regard.

3. So far as point No.(16), regarding SPG and NSG Security provided to individuals is concerned, it is stated that security by SPG is provided in terms of provisions of SPG Act, 1988. NSG security cover to an individual is provided only on the basis of comprehensive threat assessment made by the Central Security Agencies. Details of individuals provided with security cover are exempted under Sections 8(1)(g) and 24(1) of the RTI Act-2005. However, a copy of your above-mentioned RTI application is being forwarded to SPG and NSG, for providing information, if any, directly to you.

4. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Dutt Jha, Joint Secretary (PP) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120

T/O (DM)

2/4

Copy alongwith copy of RTI application of Ch. Ravi Kumar Rajwal Jatav forwarded for necessary action under the RTI Act-2005, to:

(i) Shri K.K. Mittal, JS(P-I), Room No.110, MHA, North Block, New Delhi.
(ii)Shri Nirmaljit Singh Kalsi, JS(Police-II), MHA, North Block, New Delhi.

(iii) Shri K.K. Pathak, JS(UT), Room No.193-A/I, MHA, North Block, New Delhi.
(iv) Shri Dev Kumar, Director(DM-I), NDCC-II Building, New Delhi.
(v) Shri Shantanu, Director (NM), Room No.117, MHA, North Block, New Delhi.
(vi) Joint Secretary(HR), MHA, NDCC-II Building, 4th Floor, New Delhi.
(vii) Joint Secretary(J&K), MHA, North Block, New Delhi
(viii) Joint Secretary (IS-I), MHA, North Block, New Delhi.
(ix) Shri Rajiv Jain, Under Secretary (AVD-II), D/o.Personnel & Training, North Block, New Delhi.
(x) Under Secretary(OR.II/Admn.), Ministry of Petroleum & Natuarl Gas, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001.
(xi) CMD, Indraprastha Gas Limited, IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector 9, R K Puram, New Delhi – 110022.
(xii) Shri Rahul Dua, Director(Security), Cabinet Secretariat, North Block, New Delhi.
(xiii) Joint Secretary(EE-I), Ministry of Human Resource Development, Room No.217-C, Shastri Bhawan, New Delhi.
(xiv) Shri Priya Mitra Kaushik, ACP/RTI & APIO, Delhi Police Headquarter MSO. Building, 8th Floor, I.P. Estate, New Delhi-2.
(xv) Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 28.01.2013 for information.

Reg. No. : District East / Society / 38/2010

SWABHIMAN ..... EK MISSION

(National Origination of India)

National Office : E-43, GALI NO. 2, PANDEV NAGAR, PATPARGANJ, DELHI-91

सेवा में,   396/RTI/2013
17/11/13

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
भारतीय गृह मंत्रालय नार्थ ब्लाक

विषय :- शिकायत पत्र के विषय में व अन्य विषयों पर जानकारी हेतु

महोदय, निवेदन यह है कि आपके मौलिक अधिकार सूचना (2005) के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ प्रश्नों के आगे प्रश्नों कि क्रमबद्ध संख्या के अनुसार व हिन्दी, सरल भाषा में उपलब्ध कराये

1 दिनांक ___ को एक शिकायत पत्र डायरेक्टर UT श्री A.K SAXENA जी के नाम से सम्बोधित किया था इस शिकायत पत्र अनुसार क्या कार्यवाही कि गई कार्यवाही कि प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये व दिल्ली पुलिस है व दिल्ली सरकार क्या विभाग भारतीय गृह मंत्रालय को भेजी है उसकी प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये व शिकायत पत्र में जितनी भी समस्याए बताया गई है उन समस्याओं को हल करने के लिये क्या -2 कदम उठाये गये, सभी विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये व प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये (शिकायत पत्र कि कापी सलग्न) VT

2 साम्प्रदायिकता क्या है इसकी परिभाषा क्या है सरकार द्वारा इसकी क्या परिभाषा तय कि गई प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये व यूपी में जितने साम्प्रदायिक दंगे 2011-12 के बीच हुए है व कौन-2 से जिलो में व कितने-2 दिनो तक वहाँ कर्फ्यू लगा था धारा 144 का प्रयोग हुआ है व इनको रोकने के लिये भारतीय गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाये प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये

3 नक्सलवाद क्या है इसकी सरकारी परिभाषा क्या है एवं कौन-2 से राज्यों में व जिलों में फैला हुआ है इसकी क्या मांग है, व इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है जानकारी उपलब्ध कराये

JS(Delhi) DT(US) Pt. No. 16

NM

Q4 2010/11-12 में कौन-2 से राज्यों में सबसे ज्यादा SC/ST वर्गों के बलात्कार, हत्या, जमीन कब्ज़ाने के मामले हुए हैं जानकारी उप...

Q5 नारायणा उड़ीसा में जिसके भी बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं आगे ... वर्गों कि महिलाओं की संख्या कितनी है जिनके बलात्कार हुए हैं भारत गृह मंत्रालय ने इनको रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं व SC/ST कानून को सभी प्रदेशों में सख्ती से पालन हो सके इसके लिये क्या-2 कदम उठाये प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें व जानकारी उपलब्ध करायें P.II

Q6 आतंकवाद कि परिभाषा क्या है एवं भारत के कौन-2 से राज्यों में फैला है व एवं कितने प्रकार का है व इसमें कौन-2 से जाति व धर्म के लोग शामिल है जानकारी उपलब्ध करायें P.II

Q7 SC/ST वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार क्यों नहीं रुक पा रहे हैं कानून कमजोर है या कानून का पालन करवाने वाली एजेंसी जैसे पुलिस और प्रशासन जानकारी उपलब्ध करायें P.II

Q8 SC/ST कानूनों को प्रदेशों में सख्ती से पालन हो सके इसके लिये भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा क्या-2 कार्य किये जाते हैं जाति राज्यों के DGP के साथ कितनी मीटिंग 2011-12 में हुई है व उनको क्या निर्देश दिये गये हैं प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें व जो एडवाइजरी मंत्रालय द्वारा समय-2 पर भेजी जाती है उनकी कौन-2 सी कापी प्रतिलिपि व प्रशासन द्वारा किये गये हैं इसके बारे में जो जानकारी गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध है जानकारी उपलब्ध करायें P.II

Q9 CRPF, CISF, BSF वर्तमान में 2012 में इनके DGP के क्या नाम हैं व जब से इन बलों का निर्माण हुआ है तब से अब तक 2012 तक इनके कितने DGP बने हैं उनके नाम व कार्य काल की अवधि व उनकी केटेगरी SC/ST/OBC/GENERAL लिखें जानकारी उपलब्ध करायें P-II

Q10 CBI चीफ कौन नियुक्त करता है DoPT या गृह मंत्रालय जानकारी उपलब्ध करायें DoPT

Q11 CBI कौन-2 से केसों कि जांच करती है जानकारी उपलब्ध करायें DoPT

Q12 गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को ऐसे निर्देश दिये गये हैं जिससे कि गुंडागर्दी करने वाले गुंडों का एनकाउंटर नहीं होगा सिर्फ पुलिस गुंडों को पकड़कर जेल में बंद करेगी प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें P.II

गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी किये जिससे यह पता चल सके कि महिला उत्पीड़न होने पर पुलिस द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे कौन अफसर उस शिकायत या केस कि तफ्तीश करेगा व महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत आने पर क्या त्वरित कार्यवाही की जायेगी थाना स्तर पर व कौनसी रैंक का अफसर उस पर कार्यवाही करेगा जानकारी उपलब्ध करायें

दिल्ली पुलिस कि जो महिला उत्पीड़न सैल कि अधिकारी है उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि किस महिला शिकायत कर्ता से किस तरह बात करनी है व ठीक ढंग से गौर से उनकी शिकायत सुनी जाये इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करायें व प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें

15 I.G.L. गैस पाइप लाइन लीकेज होने पर जान माल कि हानि होने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि पीड़ित व्यक्तियों, परिवारों को देने का प्रावधान है भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा या I.G.L. गैस कम्पनी द्वारा जानकारी उपलब्ध करायें व पत्र की प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें

16 S.P.G. सुरक्षा, N.S.G. सुरक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध करायें कि यह किन V.P. या V.V.I.P. को मिली है और वर्तमान में मिली हुई है उनके पद व नाम क्या-2 है जानकारी उपलब्ध करायें

17 प्रत्येक थाना स्तर पर एक महिला Inspector व एक SC/ST Inspector तैनात हो इस प्रकार का कोई निर्देश दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय ने जारी किया है तो पत्र प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें

18 जिला स्तर DCP स्तर पर एक महिला DCP हो व एक पुलिस कि कमेटी हो जो प्रत्येक सप्ताह या 15 दिन या महीने में महिला संगठनों के साथ मीटिंग रखे व महिलाओं कि समस्याओं व शिकायतों पर गौर करके उचित कार्यवाही करे व महिलायें अपनी प्रत्येक समस्या जिला स्तर कमेटी में निःसंकोच पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकें इस प्रकार के दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए बनाये हैं व एक्ट एडवाइजरी या दिशा निर्देशों के तहत उनको निर्देश जारी किये है जानकारी उपलब्ध करायें व प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें

कंपनियां व जैसे दिल्ली I.G.L. इत्यादि इन कम्पनी के जो गैस
जमीन में डाली गई है व जैसे 20 mm. 32 mm. 63 mm. 125 mm. 180 mm
स्टील लाइन जो पाइप लाइनों से घरों में CNG पम्पों पर गैस सप्लाई
जाती है और एक जमीन से काफी ऊपर डाली गई है व इसके साथ
बिजली कि केबल व पानी कि पाइप लाइन भी डाली गई है साथ-2 डाली
पब्लिक आपदा आने के दौरान या इन पाइपों CNG व PNG लाइनों के
तो मानवीय भूल हो जाने के समय भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेन्ट
विभाग कि क्या भूमिका होगी क्या किसी प्रकार के दिशा निर्देश गृह मंत्रालय
ने दिल्ली सरकार व I.G.L कम्पनी को सुरक्षा सम्बन्धी मानकों को अपनाने
के लिये दिये गये है किसी प्रकार की चेतावनी सम्बन्धी दिशा निर्देश
दिल्ली या अन्य राज्यों को भेजे गये है उसकी प्रति किताब कापी
उपलब्ध करायें व समस्त बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध करायें

21 क्या किसी राज्य सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
को निरस्त करने का अधिकार है या नहीं जानकारी उपलब्ध
करायें

22 राज्य में अपराधियों पर दर्ज हुई FIR को सरकार बदलने पर
FIR निरस्त करने का अधिकार है जानकारी उपलब्ध करायें

23 I.G.L गैस पाइप लाइन कि सुरक्षा सम्बन्धी क्या दिशा निर्देश
दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय ने दिये है अचानक गैस पाइप लाइन
में आग लगने पर या किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा जानबूझ कर या
अज्ञात द्वारा नुकसान पहुँचाने कि स्थिति में पुलिस को सूचना मिलने
पर दिशा निर्देश कि प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें व जानकारी
उपलब्ध करायें

24 डिजास्टर मैनेजमेन्ट भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्य क्या-2 है
जानकारी उपलब्ध करायें

25 पूरी दिल्ली में जो I.G.L गैस पाइप लाइन जमीन पर डली है के
पब्लिक आपदा कि स्थिति में गैस रिसाव व आग लगने पर
डिजास्टर मैनेजमेन्ट कि भूमिका क्या होगी व उसके क्या कार्य होंगे
जानकारी उपलब्ध करायें

26 डिजास्टर मैनेजमेन्ट विभाग के अधिकारियों के नाम पद व पते
अनुसार व उनसे मिलने का समय व उनका टेलीफोन नम्बर दफ्तरी
के बारे में जानकारी उपलब्ध करायें

पुलिस गुंडों को पकड़ कर जेल में बंद करता आतंकवादी [illegible]

[illegible] दिल्ली पुलिस में [illegible]
[illegible] है जो रिटायर हो चुके हैं व जो रिटायर होने वाले हैं उनको Extension [illegible] जिनका तबादला हो चुका है अभी तक दिल्ली पुलिस में [illegible] पर बने हुए हैं उनके नाम व उनके पद व तबादला आदेश की [illegible] इत्यादि विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये

[illegible] पर अपराध ना हो इसके लिये भारतीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों व दिल्ली ~~[illegible]~~ पुलिस को क्या नीति नियम जारी किये हैं प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये

दिल्ली पुलिस में एक जिले में DCP काम करते हैं व PHQ में सभी बड़े स्तर के अधिकारी बैठते हैं लेकिन [illegible] मीटिंग में व्यस्त रहते हैं आम जनता से मिलने का समय 1 घण्टा या 2 घण्टे है जन समस्याओं पर इतना कम समय व हर दिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जनसमस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है प्रत्येक जिले में एक DCP जनसमस्याओं की सुनवाई के लिये काम करे उनको अपने स्तर पर हल करे ऐसा कोई नीति नियम, भारतीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दिये हैं नीति नियमों व निर्देशों की प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये

किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिये व अपराध के विषय में बचपन से ही कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिये भारतीय गृह मंत्रालय MHRD मंत्रालय के साथ मिलकर स्कूल कॉलेज में नये कानूनों की जानकारी के लिये काम किये जायेंगे व बचपन से ही जब कानून की जागरूकता आयेगी तब अपराधों पर कुछ हद तक अंकुश लग पायेगा इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराये

2.31. दिल्ली राज्य से या अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति जम्मू ~~कश्मीर~~ कश्मीर घूमने या अन्य किसी काम से जाता है और उसकी हत्या हो जाये या उसकी कार या अन्य सामान चोरी हो जाये तब वह पुलिस में शिकायत करे और पुलिस उसकी शिकायत पर गौर ना करे और उसकी समस्या का समाधान नीचे से लेकर ऊपर स्तर के अधिकारियों द्वारा ना किया जाये व प्रशासनिक स्तर पर भी उसकी समस्या का समाधान ना किया जाये तब दिल्ली में वह किस अधिकारी के पास ~~[illegible]~~ अपनी समस्या के समाधान के लिये जा सकता है MHA उस अधिकारी का नाम व उसका पद व उससे मिलने का समय व उसका टेलीफोन नम्बर इत्यादि ~~[illegible]~~ बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराये

कार्यान्वयन के जेल दिल्ली ... निर्माण कार्य
अभी तक दिनांक - 11/1/2013 तक पूरे किये गये कार्य नहीं हुए हैं होने का कारण बताये व यह भी बताये कि कौनसे विरोध के वजह से इनको दिल्ली में रोका गया है. जानकारी उपलब्ध कराये

Q.33 दिल्ली पुलिस कि कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये जैसे महिला उत्पीड़न के विषय में SC/ST वर्ग के उत्पीड़न के विषय में नशा व्यापारियों के विषय में व किसी भी प्रकार के अपराध होने के विषय आदि विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये व उठाये गये कदमों की प्रति लिपि कापी उपलब्ध करा

Q.34 भारत में कुल IPS कि संख्या कितनी है 1/1/2013 तक व उनमें SC/ST/OBC/General वर्ग के अधिकारियों की संख्या कितनी है ~~सभी~~ जानकारी उपलब्ध करायें

Q.35 गृह मंत्रालय में तैनात अफसरों में IPS अधिकारी कितने हैं व कौन-2 से पदों पर काम कर रहे हैं. उनके नाम व पद क्या है व विभाग

Q.36 गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को किन निर्देश दिये गये हैं कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली SHO, व ACP SDPO, व DCP जैसे अधिकारियों की नियुक्ति SC/ST वर्ग व महिला SHO व ACP SDPO कि नियुक्ति कि जाये उसका अनुपात क्या है जानकारी उपलब्ध कराये

Q.37 दिल्ली के उपराज्य पाल के पास दिल्ली पुलिस सम्बन्धी कौन-2 शक्तियां हैं कौन-से किन नियमों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराये

(Ch. Ravi Kumar Rajal Jatav)
National President
SVABHIMAN ..... EK MISSION
Pandav Nagar, Patparganj, Delhi-91

नाम! चौ० रवि कुमार राजा जाटव
पता- E 43 पाण्डव नगर पटपड़ गंज
दिल्ली -110091 गली 2
9810378083

Q 2013 ... कानूनन व उसके ... उपलब्ध करायें

- जिला प्रशासन ने SC/ST प्रोटेक्शन सेल 2007 में बनी लेकिन आज 2013 तक इसमें कोई भी केस या शिकायत नहीं आयी है फिर भी [illegible] [illegible] कार्य है (सूचना की कापी संलग्न)

जिला पुलिस के [illegible] ACP जाये. एन. सिंह SC/ST प्रोटेक्शन सेल प्रमुख माने जाते हैं लेकिन [illegible] [illegible] अन्य सेल का भी जिम्मा [illegible] [illegible] रहता है जो न तो मोबाइल या टेलीफोन नम्बर के माध्यम से उनसे कोई सम्पर्क नहीं हो पाता है (सूचना कि कापी संलग्न)

जिला [illegible] के अधिकतर थानों में SC/ST कानूनों से सम्बन्धित कोई जानकारी [illegible] [illegible] किसी सीनियर को भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई ताकि कानूनों के बारे में ज्ञान करा सके

जिला प्रशासन के कई थानों में SC/ST कानूनों से सम्बन्धित कोई [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] लिखे हैं कि समझ में नहीं आते हैं तो [illegible] [illegible] किया है

जिला पुलिस के नेशनल वेबसाइट में भी SC/ST प्रोटेक्शन सेल या कानून सम्बन्धित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है (कापी संलग्न)

जिला प्रशासन [illegible] अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करता है और दोषी [illegible] होने पर उनको बात दुबे बिना ही छोड़ देते हैं

जिला में [illegible] [illegible] में SCP होते हैं लेकिन उनमें से किसी के भी पास SC/ST प्रोटेक्शन सेल सम्बन्धित कार्य नहीं है (सरकारी आर्डर कि कापी संलग्न)

जिला पुलिस SC/ST CRIME सम्बन्धित FIR दर्ज करने में बहुत देर लगाती है अगर किसी ओनरक FIR दर्ज भी हो जाये तो जांच [illegible] समय तक चलती रहती है. [illegible] [illegible] [illegible] CRIME [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] है [illegible] से SC/ST मामलों के [illegible] [illegible] जाती है

जिला पुलिस में SC/ST प्रोटेक्शन सेल का एक ऑफिस है [illegible] [illegible] में लेकिन उसके बाहर या अन्दर SC/ST प्रोटेक्शन सेल [illegible] कोई साइनबोर्ड नहीं है जबकि अन्य सभी प्रकार के [illegible] [illegible] हैं

12 23

SWABHIMAN .... EK MISSION

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi-1
117733
31 AUG 2011
प्राप्त किया/केन्द्रीय रजिस्ट्री
Received CR Section

सेवा में,

श्रीमान डा० के० के० सक्सैना
डायरेक्टर दिल्ली UT
भारतीय ग्रह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली

विषय : भारत सरकार द्वारा SC/ST वर्ग कि सुरक्षा के लिये बनाये गये कानूनों का दिल्ली पुलिस द्वारा पालन न करना व दिल्ली पुलिस मै SC/ST कर्मचारीयों के भर्ती व तैनाती मै भेदभाव होना

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मै आपका ध्यान SC/ST वर्ग की समस्याओं कि तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कृपया निम्न लिखित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करे व समस्याओं का समाधान करे आप कि अति कृपा होगी

समस्या :-

1. दिल्ली पुलिस भारत सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों की क्रियान्विति नही करती (कानूनों की कापी संलग्न)

2. भारतीय ग्रह मंत्रालय द्वारा जो SC/ST कानूनों से सम्बन्धित दिशानिर्देश समय समय पर भेजी जाती है दिल्ली पुलिस उसका पालन नही करती है (कापी संलग्न)

3. दिल्ली पुलिस ने कोई भी लाईजन ऑफिसर नियुक्त हुआ लाइन नम्बर नही बनाया है फोन नंबर कि लिस्ट पर (कापी संलग्न)

4. दिल्ली पुलिस के किसी भी थाने मै SC/ST डीलकरने सैल सम्बन्धित कोई जानकारी उपलब्ध नही है जैसे सैल का नम्बर व इन्चार्ज चलाने वाले अफसर का नाम इत्यादि

[illegible]नी पुलिस मे ऐसे अधिकारीयो कि नियुक्ति [illegible] की गई है
जिनका कार्य दलितो कि सुरक्षा के लिये बनाये गये कानूनो का
पालन करवाना हो व जिनसे काम लिया जा सके। सुनिश्चित किया
जा सके व मानीटर के माध्यम से [illegible] किया जाये, व SC/ST
[illegible] समस्याओ को बताया जा सके

SC/ST अत्याचार के विषय मे सूचना मिलने पर कोई स्तर का
कोई भी अधिकारी DCP स्तर [illegible] [illegible] [illegible] कोई भी
[illegible] पीड़ित पक्ष के पक्ष मे [illegible] [illegible] नही सकता है।
[illegible] भी प्रकार का कोई [illegible] नही करता है [illegible]
[illegible] रहे कि पीड़ित पक्ष को [illegible] की आवश्यकता है
[illegible] CRIME [illegible] होने कि [illegible] भी [illegible] है [illegible]
[illegible] सुरक्षित है, पीड़ित पक्ष का [illegible] मुकदमा हुआ है [illegible]
[illegible] से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने मे देर लगती है, [illegible]
[illegible] सब [illegible] उपाय नही किये जाते है
F.I.R दर्ज होने के बाद भी [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ACP [illegible] अधिकारी को [illegible] [illegible] है और [illegible]
[illegible] जाँच [illegible] समय तक चलती रहती है [illegible]
[illegible] [illegible] ACP नही [illegible] है [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] घूमते रहते है [illegible] [illegible]
[illegible] जाये [illegible]

[illegible] पुलिस [illegible] प्रचार के माध्यम से जैसे रेडियो, टी.वी
[illegible], अखबार, होर्डिंग्स इत्यादि से SC/ST प्रोटेक्शन [illegible] SC/ST [illegible]
[illegible] मे [illegible] नही [illegible] है
[illegible] उपरोक्त समस्याओ के बारे मे [illegible] [illegible] समस्याओ
समाधान करे

[illegible] दिल्ली पुलिस मे SC/ST कर्मचारीयो के [illegible] [illegible]
[illegible] व तैनाती के विषय मे
निम्न लिखित समस्याओ पर [illegible] [illegible] [illegible]
समाधान करे,
समस्याऐ:
[illegible] पुलिस मे जो सिपाही [illegible] [illegible]
[illegible]

9 इसलिए CPC का [illegible] संख्या ज्यादा है, आरक्षण प्रणाली आने वाली संख्या से ज्यादा (आंकड़ों की कापी संलग्न)
प्रत्येक स्तर पर [illegible] अधिकारियों की संख्या सही अनुपात नहीं रखी गई है।

[illegible] [illegible] की [illegible] है [illegible] SC/ST SHO अधिकारियों की तैनाती [illegible] की कम है, प्रतिनिधित्व ना के बराबर है।
अधिकतर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नाम मात्र के [illegible] [illegible] है [illegible] इसके केवल नाम [illegible] है [illegible] [illegible] की [illegible] है जिससे उनके काम नीतियों
का मौका नहीं मिलता है।

6 ACP स्तर [illegible] अधिकारियों की भी तैनाती कम है
प्रतिनिधित्व ना के बराबर है व S.D.P.O. पद पर बहुत कम
[illegible] है [illegible] [illegible] होता है।

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] स्तर SC/ST अधिकारियों की संख्या नाम मात्र है
[illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] नहीं है [illegible] SC/ST बहुत
[illegible] के PCP SC/ST का [illegible] लगाये [illegible] कोई नियम बनाये

[illegible] मैजोरकारी [illegible]

जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द किये जाने वाले काम।—

दलित उत्पीड़न रोकथाम कानून का सैल प्रो-एक्टिव बनाया जाये

2 सभी थानों में दलित उत्पीड़न सैल का निर्माण किया जाये

3 प्रत्येक थाने बीट स्तर से ऊपरी स्तर तक SC/ST कर्मचारियों की तैनाती कि जाये सही अनुपात के आधार पर SC/ST बहुल क्षेत्रों में जो SC/ST कानूनों का ज्ञान रखते हों

4 उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कि जाये जो दलित उत्पीड़न की शिकायत दर्ज नहीं करते है व पिड़ित पक्ष की शिकायत नहीं सुनते व थाने से भगा देते है

5 प्रत्येक थाने बाहर व अन्दर SC/ST कानूनों से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाये जाये साथ सूचनाएं भाषा में लिखे होने पर समझ में आ सके जिससे थाने में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो सके

6 कोई भी व्यक्ति या संस्था SC/ST कानूनों के बारे में जागरूकता लाये व समाज हित में काम करें उनकी प्रशासन मदद करे व उनके साथ समय-2 पर मिटिंग करें और समस्याओं को सुने व उनका समाधान करें

7 प्रत्येक थाना अध्यक्ष एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करे जिसमें इसके क्षेत्र कि जाति भेद, व धार्मिक आबादी का पता चल सके, इनके रोजगार के साधन क्या है, SC/ST वर्ग कि आबादी क्या है उन क्षेत्र में कितने लाइसेंस वाले हथियार है व कौनसी जाति व धर्म के लोगों के पास है व कभी क्या उन हथियारों का प्रयोग दलित उत्पीड़न में ~~[illegible]~~ तो नहीं किया है

8 जिलों में हथियारों का लाइसेंस देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह व्यक्ति जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है क्या वे हथियार का प्रयोग दलित उत्पीड़न में तो नहीं करेगा उसकी जाति व धर्म व व्यवसाय का ध्यान रखें व गुंडे प्रवृति के लोगों को हथियार के लाइसेंस बिल्कुल ना दिये जाये

प्रत्येक मण्डी थाने के बाहर जगह-जगह SC/ST प्रोटेक्शन सेल के बारे में जानकारी हेतु बड़ा होर्डिंग लगवायें जिसमें स्पष्ट हो आफिस का पता व उस अधिकारी का नाम व उससे मिलने का समय इत्यादि के बारे में जानकारी हो सके

प्रत्येक थाना अध्यक्ष समय-समय पर अपने क्षेत्र की SC/ST बहुल आबादी क्षेत्रों में जायें व SC/ST परिवारों से मिले उनकी समस्या जाने और उनसे पूछें क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी सम्पत्ति सुरक्षित है उनकी बेटियों/... की इज्जत सुरक्षित है उस क्षेत्र में जो अमुक नाम का है किसी ना किसी रूप में उनको परेशान तो नहीं कर रहा है इत्यादि कार्य करें

उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों की नियुक्ति किया जाये जिला स्तर पर जो दलित उत्पीड़न के मामलों को देखें व सूचना मिलने पर तुरंत घटना स्थल का दौरा करें व तुरंत F.IR दर्ज करने का आदेश दे सकें ऐसे अधिकारियों के मोबाइल नम्बर व उनसे मिलने का समय इत्यादि के बारे में जानकारी देने वाले होर्डिंग लगाये जायें प्रत्येक थाने में व सार्वजनिक स्थलों पर

प्रत्येक दलित उत्पीड़न कि F.IR कि जांच DCP स्तर अधिकारी D.P.S करे और पीड़ित पक्ष को तत्काल राहत देने के लिये उचित कार्यवाही हो सके अगर D.P.S अधिकारी DCP जांच करेगा तो जांच ज्यादा निष्पक्ष हो सकेगी व जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में आसानी होगी

छोटी से छोटी शिकायत जो SC/ST वर्ग के उत्पीड़न से सम्बन्धित हो उसकी तुरंत जाँच हो ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके क्योंकि SC/ST वर्ग के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं कानूनी कार्यवाही के बारे में ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं होती है अक्सर थाने जाने से उनको डर लगता है अनपढ़ होने के कारण ठीक से वो बात नहीं कर पाते हैं, अधिकारी उनको डांट कर भगा देते हैं इत्यादि बातों को ध्यान में रखा जाये

मैं सभी विषयों पर ध्यान से अध्ययन करके तथ्यों को उजागर करके एक दिशा निर्देश लागू करें जिससे SC/ST वर्ग के लोगों को अपना जीवन यापन करने में आसानी और सुरक्षा बढ़ सके और सुरक्षा का भाव आगे अधिकार क्षेत्रों में दलित वर्ग के लोगों को आज भी ऐसे में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अपनी अलग मेलों के सायों में गुंडों द्वारा कोई व्यवधान ना डाला दिया जाये इसलिये हम ध्यान में रख रखा है, दलित वर्ग के मकानों व जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है तत्काल से उचित कार्यवाही करें ताकि गुंडों के दिलों में डर और दलितों के दिलों से डर खत्म हो सके आशा है आप कृपा करेंगे

धन्यवाद

नाम: चौ० रवि कुमार राजपाल जाटव
राष्ट्रीय अध्यक्ष: स्वाभिमान एक मिशन
राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था (रजि०)
पता: ई-43 पाण्डव नगर, पटपड़गंज
दिल्ली-110092 नई-2
(M) 9810378283

संलग्न - 42 Pages
~~सिटी जन वाहिर दिल्ली प्रेषित~~

(Ch. Ravi Kumar Rajpal Jatav)
National President
SWABHIMAN ... EK MISSION

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक 15 मई, 2013

17 MAY 2013

सेवा में,

चौ. रवि कुमार राजवाल जाटव,
ई.-43 पाडंव नगर पड़पड़ गंज,
गली नम्बर-2
दिल्ली-110091

विषयः- **सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।**

कृपया इस अनुभाग में 16.04.2013 को प्राप्त अपके सूचना के अधिकार आवेदन संख्या एवं दिनांक शून्य जो कि इस संभाग को पी.पी डिवीजन, गृह मंत्रालय द्वारा अंतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गई है।

2. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, इस मंत्रालय से संबंधित आपके आर टी आई आवेदन के बिंदु संख्या 20, 24, 25 एवं 26 से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

(क) बिन्दु संख्या 20 एवं 25 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर आवश्यक बचाव एवं राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। मौजूदा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को अधिनियमित तथा अधिसूचित किया गया। उपर्युक्त अधिनियम में आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं, आपदाओं के निवारण, प्रशमन तथा उनके कम से कम प्रभाव पड़ने देने हेतु सरकार के विभिन्न स्कन्धों द्वारा उपाय सुनिश्चित करने तथा देश में किसी आपदा की स्थिति में सम्पूर्ण समन्वित तथा तत्काल कार्रवाई किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में क्षमता-निर्माण, जिसमें सामुदायिक भागीदारी द्वारा तत्परता का संवर्धन किया जाना शमिल है, का प्रावधान भी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं तथा दिशानिर्देश निर्धारित करने की जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया है। इसी प्रकार, राज्य तथा जिले के स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए गए हैं।

(ग) इन सभी उपायों से मौजूदा आपदा प्रबंधन उपायों में सुधार, तैयारी, उपशमन, नियंत्रण तथा देश में, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की कार्रवाई की व्यवस्था में संवर्धन होने की उम्मीद हैं।

(घ) इस प्रकार सी एन जी, पी एन जी तथा गैस पाइप लाइन जो कि दिल्ली मे जमीन के नीचे बिछायी गई है, किसी भी प्राकृतिक/मानव रचित आपदा कि स्थिति में मुख्य भूमिका दिल्ली सरकार तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग की ही होगी। अतः आप इस सन्दर्भ में जानकारी दिल्ली सरकार तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

(ड़) बिन्दु संख्या 24 एवं 26 के सन्दर्भ में कहना है कि आपदा प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय के कार्य आवंटन की जानकारी तथा इसमें तैनात अधिकारीयों के नाम, पद और उनके टेलीफोन नम्बर की जानकारी आप हमारी वैबसाइट (mha.nic.in & ndmindia.nic.in) से प्राप्त कर सकते हैं।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं:-

श्री जी वी वी शर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी एम प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन डी सी सी-।। भवन,
जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

(अशोक शुक्ला)
उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (आ.प्र.अ-।।)
टेलीफोन :23438071

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

पी.पी. प्रभाग (श्री गिरीश कुमार, निदेशक (वी एस) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी), एन डी सी सी -।। भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली (आपके हवाले से प्राप्त पत्र संख्या-23014/24/2012-वी एस दिनांक 08.04.2013)